

FORM NO III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

हनुमान पुत्र केशा जाति रेगर निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर

वादी

बनाम

केलाश पुत्री केशा जाति रेगर निवासी ग्राम अराई जिला अजमेर व अन्य

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा- धारा 88,188,53 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 23/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/118.....

वकील वादी:-श्री विजेन्द्रसिंह

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8-8-25	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी विजेन्द्रसिंह ने अन्तर्गत धारा 88,188,53 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 14/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">W/S उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	
10/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पत्रावली उपर वकील वादी ने वाद से कार्यवाही करना है। दस्तावेजों का निवेदन किया है कि वकील वादी की प्रतीति पर 15 वादि के खारीय किया जाता है। पत्रावली पेश होने पर नंबर 23/25</p> <p style="text-align: right;">W/S</p>	<p>दस्तावेज पत्रावली विजेन्द्रसिंह 2025</p>